

मैसूर स्टेट लैजिसलेचर (डेलिगेशन आफ पावर्स) निरसन अधिनियम, 2002

(2002 का अधिनियम संख्यांक 57)

[17 दिसम्बर, 2002]

दि मैसूर स्टेट लैजिसलेचर (डेलिगेशन आफ पावर्स) ऐक्ट, 1971
का निरसन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :--

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दि मैसूर स्टेट लैजिसलेचर (डेलिगेशन आफ
पावर्स) निरसन अधिनियम, 2002 है ।

2. दि मैसूर स्टेट लैजिसलेचर (डेलिगेशन आफ पावर्स) ऐक्ट, 1971 इसके द्वारा
निरसित किया जाता है ।

संक्षिप्त नाम ।

1971 के
अधिनियम 23 का
निरसन ।